राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण कल्लू उर्फ ब्रजमोहन, चरन सिंह उर्फ शिवचरन एवं भूरा सहित श्री अशोक जादौन अधिवक्ता।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी बनवारी ने उसके अधिवक्ता श्री पंकज मिश्रा के साथ उपस्थित होकर आरोपीगण से राजीनामा की संभावना व्यक्त करते हुए प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही में रैफर करने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री पी.सी.आर्य साहब को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेत् सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी बनवारी पुत्र जसवन्त सिंह गोले, निवासी :— आवास कॉलौनी घूम का पुरा, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड ने अधिवक्ता श्री पंकज मिश्रा के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक बनवारी ने उसके अधिवक्ता श्री पंकज मिश्रा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.सं. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत बनवारी अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री पंकज मिश्रा अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादीगण/आवेदकगण तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र

सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आहतगण विजयराम एवं केदार द्वारा दिनांक : 04/04/2016 को आरोपीगण से राजीनामा

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी., गोहद